भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3024

07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आवासन में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण

3024. श्री भरतभाई मनुभाई सुतारियाः

श्री भोजराज नागः

श्री चंदन चौहानः

श्री बसवराज बोम्मईः

श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

श्री पी. सी. मोहनः

श्री जनार्दन मिश्राः

श्री सतीश कुमार गौतमः

श्रीमती कमलेश जांगड़ेः

श्री गोडम नागेशः

सुश्री कंगना रनौतः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

श्री जुगल किशोरः

श्री सुरेश कुमार कश्यपः

श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

श्री आलोक शर्माः

श्री हरीभाई पटेलः

श्री मनोज तिवारीः

श्री नव चरण माझीः

सुश्री बाँसुरी स्वराजः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) या सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत आवास आवंटन में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण का लाभ दिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत आवास आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए प्रस्तावित आरक्षण का प्रतिशत क्या है;

(ग) मेहसाणा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में इन योजनाओं से लाभान्वित दिव्यांगजनों और आवंटित आवासों की शहरवार और राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) वह विधायी डांचा या नीतिगत पहल जिसके अंतर्गत उक्त आरक्षण लागू किया गया है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेहसाणा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी पात्र लाभार्थियों को देश भर में आवास आवंटन में प्राथमिकता मिले, शहरवार और राज्यवार, क्या परिचालन तंत्र स्थापित किए गए हैं;

(च) इन योजनाओं के प्रारंभ से लेकर अब तक देश भर में उक्त नीति के अंतर्गत आरक्षित/आरक्षित होने की संभावना बाली आवास इकाइयों की, मेहसाणा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित शहर और राज्य-वार अनुमानित संख्या कितनी है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या पहल की जा रही हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (छ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता

कर रहा है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है।

पीएमएवाई-यू एक मांग-आधारित योजना है और इसके कोई निश्चित लक्ष्य नहीं हैं। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवास आवंटन में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाती है। भारत सरकार द्वारा कोई आरक्षण निर्धारित नहीं है, हालाँकि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वरीयता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए, आरक्षित आवासों/ऐसे आवासों के बारे में जिनके आरक्षण की संभावना है, कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। देश भर में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 84,864 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं, जिनमें गुजरात राज्य के महेसाणा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के 75 दिव्यांगजन शामिल हैं। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लाभान्वित दिव्यांगजनों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और शहर-वार विवरण https://pmay-urban.gov.in/PHQ/LSUQ-3024.pdf पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से प्राप्त सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों की सहायता की जा सके।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत विधवाओं, अकेली महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और असुरक्षित वर्गों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

*****